तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12-8-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपख...
/2019
दिनांक 11.02.2014

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

18/दावा/2019
दायरा दिनांक 11.02.2014

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. किशनलाल पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी चमावली तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

– वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी राज0।
2. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट0।
उपस्थित :– 1. श्री बालकिशन रायका एडवोकेट (वादी)।

(अधिकार घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं नियमन किये जाने बाबत्)

–: निर्णय :– दिनांक :– 12.05.2022

वादी द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0 में पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सक्षिंप्त तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार से है कि वाके ग्राम चमावली स्थित खसरा नम्बर 160पर वादी का काफी वर्षो से उक्त कब्जे के निमित्त देय जुर्माना राशि– राजस्व लगान का पचास गुणा का भुगतान राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत उसके द्वारा किया जा रहा है।ग्राम चमावली के खसरा नम्बर 160 रकबा 0.75 हैक्ट0 पर लगातार निर्बाध कब्जे के आधार पर वो उक्त खसरा संख्या का स्वयं के पक्ष में नियमन करवाने का अधिकारी है।उक्त खसरे का नियमन व आवंटन नही होने से वह सरकारी योजनाओं का लाभ व वित्तीय संस्थाओं से ऋण नही

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

रहा है।राज्य सरकार के मुताबिक 30 वर्ष से अधिक का पश्चातवर्त्ती कब्जा होने से [illegible] किये जाने की अनुशंषा का प्रावधान बना हुआ है।इसलिए खसरा संख्या 160 का खातेदार/काश्तकार घोषित किया जावे,या नियमन/आवंटन का आदेश फरमाया जावे।प्रतिवादी संख्या 2 को पाबंद किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से वादी से 50 गुणा पेनल्टी वादी से नही वसूले एवं वादी को सूचना व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बावजूद सूचना जवाब पेश नही किया इसलिए उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।बहस एक तरफा सुनी वादी अधिवक्ता ने बाद में अकिंत कथनों का दुहराव कर चाहे गये अनुतोष देने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि ग्राम चमावली के खसरा संख्या 160 रकबा 0.75 हैक्ट0 किस्म गे0मु0 चरागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते इसलिए वादी का वाद–पत्र खारिज किया जाता है।तहसीलदार इन्द्रगढ को तहरीर जारी की जावे कि वे ग्राम चमावली के खसरा संख्या 160 पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवा कर पालना भिजवावे।तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

Scanned with CamScanner

डिकी ब मुकद्में इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1. अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम.........................लाखेरी.........................
.....व इजलास.........श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1.किशनलाल पुत्र माधोलाल जाति मीणा निवासी ...**बनाम**...1... राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी
निवासी चमावली तहसील इन्द्रगढ़ (बूंदी) 2......राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

दावा बाबत.. 88 आर0 टी0 एक्ट...

मुकदमा नम्बर...............................18 / दावा / 2019..............................सन...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे...व हाजिरी

1.श्री बालकिशन रायका एडवोकेट ....। मिनजानिब मुद्दई रूबरू...
....मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद–पत्र खारिज किया जाता है।

....निज............. ....मुवलिग...बावत......................
..खर्चा इन मुकद्में के मय सूद वशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....12........माह.......

.05....... सन...2022.......................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर **ओहदा**

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner